Impact of GST on Consumers

Dr. Bharti Kumari
Assistant Professor, Deptt. of Sociology
A.B.J. College Khajauli, Madhubani

जीएसटी का उपभोक्ताओं पर प्रभाव

डॉ० भारती कुमारी
असिस्टेंट प्रोफेसर,
ए.ब.ज. महाविद्यालय खजौली, मधुबनी

उपभोक्तातों द्वारा चुकाई जाने वाली मूल्य को जीएसटी दो अलग–अलग तरीकों से प्रभावित कर सकता हैं। पहली तो कर के दरों में बदलाव की वजह से, और दूसरी उत्पादन एवं वितरण प्रणाली में बदलाव कर दर में परिवर्तन तो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, हालाँकि उत्पादन एवं वितरण प्रणाली में परिवर्तन के प्रभाव दिखने में थोड़ा समय लगेगा। जीएसटी के अन्तर्गत, एक वस्तु या सेवा पर निम्न चार में से कोई एक दर लगता है– 5,12,18 या 28 % या फिर उसे अप्रत्यक्ष कर से मुक्त किया गया है, अर्थात, उस पर 0 % कर लगता है। किसी एक विशेष वस्तु/सेवा का मुल्य बढ़ेगा या घटेगा, यह इस बात पर निर्भर करता हैं कि उस वस्तु/सेवा पर लागू होने वाला जीएसटी की दर,पहले कि दर से ज्यादा हैं या कम। उदाहरण की तौर पर मान लिजीये कि एक वस्तु उपभोक्ता तक तीन चरणों में पहुँचता हैं – निर्माता से वितरक, वितरक से खुदरा व्यापारि एवं खुदरा व्यापारि से उपभोक्ता। इस वस्तु पर पहले निम्न करें लगती थी – उत्पाद या ऐक्साईज कर , राज्य प्रवेश कर, ब्रिक्री कर , वैट , इत्यादी। मान लिजीए इन सारे करों का प्रभावी योग 15% था । अब अगर इस वस्तु को जीएसटी की अन्तगर्त 18 % की दर वाली सूची में रखा गया तो मूल्य में वृद्धि होगी। हाँलाकि, अगर इसे 5 या 12 % वाली सूची में रखा गया तो मूल्य में गिरावट होगी। यहाँ यह गौरतलव है कि चूकि पहले अलग–अलग राज्यों में कुछ देर अलग–अलग थी, तो ये संभव है हीं एक ही वस्तु/ सेवा का मूल्य जहाँ एक राज्य में पहले कि तुलना में कम हो जाय वहीं दूसरे राज्य में बढ़ जाय।

जीएसटी के अन्तर्गत, अनाज,दाल , फल, सब्जी, दूध, शिक्षा एवं स्वास्थ जैसे आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को कर के दायरे से बाहर रखा गया है, अर्थात् उन पर 0% कर लगेगा। ये सारे चीजे एक आम परिवार की औसतन मासिक खर्चे की 40–45% हिस्सा होता हैं। इसके अलावे दूसरे रोजमर्रा की चीजें जैसे चीनी, कॉफी ,खाने का तेल, कोयला इन सब को 5% कर वाली सूची में रखा गया है, हाँलाकि ज्यादातर सेवाओं पर 18% जीएसटी लगाया गया है जो पहले कि 14–15% दर से कहीं ज्यादा हैं। पहले एक ही वस्तु पर अलग– अलग चरणों में अलग–अलग कर अलग–अलग दरों से लगते थे,इसकी वजह से ये अनुमान लगा पाना कि पहले के सारे करों का टोटल कितना होता था और फिर उसे जीएसटी की दरों से तुलना करना जटील काम है, हाँलाकि कुछ अर्थशास्त्रीयों का आकलन है कि लगभग 50% चीजों में लगने वाले कर पहले जितने ही हैं, लगभग 30% में कमी आयी है। जबकि शेष 20% में कुल कर भार बढ़ी है।

जीएसटी के बाद मूदास्फीति में बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के अनुमान के पिछे दोतर्क है। पहली तो यह कि दूसरो देशों में जहाँ जीएसटी लागू किया गया था , वहाँ मूदास्फीति में वृद्धि देखने को मिली थी, और दूसरी वजह यह कि जीएसअटी के सारे नियमों के अनुपालन करने से कुछ कम्पनियों के लागत में इजाफा हुआ हैं। इस तरह से लागत बढ़ने का मुख्य कारण यह हैं कि भारत में बहुत हीं बड़ी संख्या में कम्पनियां , खास कर छोटी एवं मझली श्रेणी की कम्पनियों , अनौपचारिक तौर पर संचालन करती है। यह कम्पनियां सरकारी नियमो का पालन नहीं करती हैं और कर भी नही चुकाती हैं। हाँलाकि , जीएसटी के अन्तगर्त इनपूट टैक्स क्रेडिट या आइटीसी प्रावधान का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि निमार्ता या व्यापारि सिर्फ उन्हीं निर्माता या व्यापारी से सामान या सेवा खरीदे जो जीएसटी में रजीस्टर्ड हैं एवं सारे कर चुकाये हुए है। इस प्रावधान की वजह से इस बात की गहरी संभावना है कि अब तक जो निर्माता एवं व्यापारी नियमों का पालन नहीं कर रहें थे एवं कर भी नहीं चुका रहे थें उन्हे अब दोनों ही चीजें करनी पड़ेगी, और इससे कुल लागत बढ़ने की संभावना हैं।

जीएसटी स्वतत्र भारत में किये गये बड़े कर सुधारों में एक है और इस बात की प्रवल संभावना है कि इससे दूरगामी प्रभाव होगें। उपभक्तओं के लिए यह देखने वाली बात है कि मूल्यों पर जीएसटी का क्या असर परा हैं। चूँकी जरूरत की ज्यादातर वस्तुओं पर पहले की तुलना में कुल कर या तों समान हैं या फिर कम हो गया, साथ हीं इनपूट टैक्स क्रेडिट की वजह से भी लागत कम हुआ हैं और इनके अलावा वस्तुओं के परिवहन में भी काफी सुधार हुआ हैं– इन बदलावों के कारण मूल्य कम हुए हैं लेकीन वही दूसरी तरफ सेवाओं पर कर बढोतरी एंव जीएसटी के अनुपालन के बढे लागत से खासकर के छोटे एंव मध्यम वर्ग के व्यसायियों के लिए ,संभव मूल्य बढ़े हैं ।अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करता हैं कि इन दोनों विपरीत प्रभावों में सें कौन ज्यादा कारगर सावित होता हैं।

वंस्तु एंव सेवा कर मकसद है एक भारत एक कर । उसके साथ समस्त भारत समान बाजार । इसकें चलते उपभोक्ताओं को वस्तुऐं और सेवाऐं अच्छे दामो में प्राप्त हो रही हैं, क्योकी इसके आने से टेढे मेडे रास्ते बंद हो गऐं हैं और आसान और सहज तरीके सें उत्पादो की आपूर्ति हो रही हैं।

जीएसटी लगने सें पूर्व कृषिउत्पदों पर अलग –अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाऐं जाते थे ,जैसे कि सेवा कर , एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स (वैट)। सभी खाद वस्तुओं पर राज्य स्तर का वैट लागू होता था , उदाहरण के लिय अनाज और बिज पर राज्य स्तर पर 4:वैट लगता था । हलाकी कुछ असंसाधित खाद्य वस्तुओं पर वैट नही लगता था, जैसे कि फल और सब्जियूं ,मीट और अंडे । इसी प्रकार गेहूं चावल ,आटा ,नमक चीनी आदि पर केंद्रीय वैट नही लगता था। जीएसटी के कारण कृषि उत्पादों के लिये भारत का पहला राष्ट्रीय बाजार तैयार किया गया हैं, जिसमें सकारात्मक उर्जा दिखाई दे रही हैं। हांलाकि जीएसटी स्लैब के अंर्तगत अलग–अलग खाद्य उत्पादों पर लगने वाले विभिन्न करों से जुडे कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। उदाहरण के लिए ताजा दूध पर कोई जीएसटी नही है, जबकि मलाई रहित दूध पर 5% जीएसटी लगता है और संघनित दूध 12% जीएसटी के अंर्तगत आता हैं। जीएसटी के साथ कुछ कृषि तत्वों पर अधिक लगाया गया है। उदाहरण के तौर पर कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज खाद पर जहां पहले 6: (5%वैट 1% एक्साइज) कर लगता था अब जीएसटी के अंर्तगत उपभोक्ता को 12% कर देना होगा। यद्यपि एक समान. षि बाजार के बनने के बाद किसानो को इसका लम्बी अवधी तक फायदा मिलेगां। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक हैं, जिसे जीएसटी का सबसे अधिक लाभ मिल रहा हैं, क्योंकि वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अब सस्ता हो गया हैं आगे सुव्यवस्थित सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ खर्च की गई धन राशि पर करों की गिरती हुई दरें लगने से एफएमसीजी उत्पादों का कम्पनियों पर भार कम हुआ हैं और लम्बे अंतराल में देखे तो अंत में आम उपभोक्ता को इसका बडा लाभ मिल रहा है। जीएसटी से पूर्व एफएमसीजी क्षेत्र में एक्साइज डियुटी, सर्विस टैक्स, वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स देना होता था। एफएमसीजी पर पूर्व में 22–24 प्रतिशत तक कर था, परन्तु जीएसटी के लागू होने पर एफएमसीजी उद्योग के लिए टैक्स की दरें घट कर 18–20% हो गई हैं। जिससे एफएमसीजी कंपनियों को निवेष की गई राषि पर अधिक लाभ प्राप्त हो रहा हैं, क्योंकि उनकी डिस्ट्रिब्युषन कॉस्ट कम (2–7 प्रतिषत से घट कर 1.5 प्रतिषत तक) हो गया हैं और आसान स्टोरेज, व सूव्यवस्थित ट्रांसपोर्टेषन एफएमसीजी कंमनियों को लाभ पहुँच रही है।

आम खाद्य सामग्री जैसे चावल, गेहूँ, सब्जियां, दूध, आदि जीएसटी के दायरे से बाहर हैं , जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली हैं। सहरी उपभोक्ताओं के लिए पैक्ड और फ्रोजन आइटम जैसे पनीर , मटर, आदि 5% जीएसटी के दायरे में रखीं गई हैं। यद्यपि ड्राई फ्रूट्स चीज, मक्खन ,घी, आदि के दामों में इजाफा हुआ है, क्योंकि ये सभी 12% जीएसटी के दायरे रखे गये हैं। जबकि पहले इन पर 5% तक कर लगता था। वही कुल मिलाकर एफएमसीजी की बात करें तो आम उपभोक्ता को जीएसटी से लाभ ही प्राप्त हुआ है।

संदर्भ :

1 गुप्त, संजय, दैनिक जागरण, 2 जुलाई 2017, नई दिल्ली

2 गुप्ता, एच.एन. (2017) ने "वस्तु एवं सेवा कर : विधि एवं नियम", श्रृखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका, भोल्यूम–3, नवम्बर

3 गुप्ता, एच.एन. गुप्ता (2017) "भारतीय अर्थव्यवस्था पर जी.एस.टी. का प्रभाव, रिमार्किंग एन एनालाइसिस, भोल्यूम–2, नं0 8, नवम्बर

4 पटवर्धन, गोविंद (2017), ऐसा है जीएसटी कायदा, सकल प्रकाशन, पृ0 68

5 प्रजापति, जयप्रकाश (2017) "लघु उद्योग और वस्तु एवं सेवा कर : सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ" , जर्नल ऑफ माडर्न मैनेजमेन्ट एण्ड इन्टरप्रेनेउरशिप (जेएमएमई), भोल्यूम–7, नं0–4, अक्टूबर, पृ0 313–318